न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 52/2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. गुमानसिंह पुत्र श्री खानूसिंह उम्र 49 वर्ष 2. जुगतसिंह पुत्र श्री खानूसिंह उम्र 38 वर्ष 3. ओमूकंवर पत्नि स्व. प्रतापसिंह उम्र 41 वर्ष 4. छैलसिंह पुत्र स्व.श्री प्रतापसिंह उम्र 16 वर्ष 5. पूनमसिंह पुत्र स्व.श्री प्रतापसिंह उम्र 11 वर्ष (प्रार्थी संख्या 4 व 5 नाबालिग जरिये संरक्षक वली माता श्रीमती ओमू कंवर 6. शिम्भुसिंह पुत्र श्री हणवन्तसिंह उम्र 71 वर्ष सभी जातियान राजपूत निवासीगण पण्डितजी की ढाणी तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री चुन्नीलाल 2. रेवन्तराम पुत्र श्री चुन्नीलाल 3. दुर्गाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल 4. पपूराम पुत्र श्री चुन्नीलाल 5. भागीरथ पुत्र श्री चुन्नीलाल 6. भंवरीदेवी पुत्री श्री चुन्नीलाल 7. किस्तुरीदेवी पत्नि श्री चुन्नीलाल सभी जातियान–सुथार निवासीगण–पण्डितजी की ढाणी तहसील ओसियां जिला जोधपुर 8. सरपंच ग्राम पंचायत पण्डितजी की ढाणी पंचायत समिति ओसिया जिला जोधपुर 9. नैनसिंह पुत्र श्री खानूसिंह जाति राजपूत निवासी पण्डितजी की ढाणी तहसील ओसियां जिला जोधपुर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरुद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत बैठवासिया पंचायत समिति ओसिया के द्वारा दिनांक 29.03.1997 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के पिता व पति चुन्नीलाल के हक में पट्टा संख्या 01 मिसल संख्या 96–97/01 जारी किया गया।

उपस्थितिः– 1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बांवरला उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 5 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 6, 8 व 9 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांकः 02.06.2025

प्रार्थी गुमानसिंह पुत्र श्री खानुसिंह उम्र 49 वर्ष जाति राजपूत निवासी पण्डितजी की ढाणी तहसील ओसियां जिला जोधपुर व अन्य की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति सुथार निवासी पण्डितजी की ढाणी तहसील ओसिया जिला जोधपुर व अन्य के विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत बैठवासिया पंचायत समिति ओसिया जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 29.03.1997 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के पिता व पति चुन्नीलाल के हक में पट्टा संख्या 01 मिसल संख्या 96–97/01 जारी किया गया को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी का का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि एवं उसके पास में ही आबादी की पुश्तेनी भूमि ग्राम पण्डितजी की ढाणी तहसील ओसिया जिला जोधपुर में आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से पीढियों से कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा आबादी की भूमि पर प्रार्थीगण की पट्टिया रोपी हुई है एवं प्रार्थीगण ही पीढियों सें मालिक की हैसियत से काबिज है। पूर्व ग्राम पंचायत बैठवासिया के सरपंच से अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के पिता व पति चुन्नीलाल ने मिलीभगत कर विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीगण के खातेदारी

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned with CamScanner

की कुछ भूमि एवं आबादी की भूमि पर पट्टा जिसका नाप उतर से दक्षिण भुजा 195 फीट व पूर्व से पश्चिम भुजा 100 फीट का गलत पड़ौस दर्शाते हुए दिनांक 29.03.1997 को गैर कानूनी तरीके से पट्टा जारी कर दिया, जबकि उक्त भूमि का ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नही था। उक्त पट्टे की प्रार्थीगण को हाल ही में जानकारी होने पर पट्टे को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण की ओर से निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की गयी है:–

1. अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के पिता व पति चुन्नीलाल ने पूर्व ग्राम पंचायत बैठवासिया के सरपंच से मिलीभगत कर प्रार्थीगण के खातेदारी की कुछ भूमि एवं प्रार्थीगण के पुश्तैनी आबादी भूमि जिसकी नाप उतर से दक्षिण की भुजा 195 फीट व पूर्व से से पश्चिम भुजा 100 फीट का गलत एवं मनमाफिक पड़ौस दर्शाते हुए गैर कानूनी तरीके से मिसल संख्या 96–97/01 पट्टा नम्बर 01 दिनांक 29.03.1997 जारी कर दिया, जबकि प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि एवं प्रार्थीगण की आबादी भूमि पर ग्राम पंचायत के सरपंच को चुन्नीलाल के नाम पट्टा जारी करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं था।
2. उक्त कृषि एवं आबादी भूमि पर प्रार्थीगण का ही हक अधिकार एवं कब्जा है अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 एवं इनके पिता व पति का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व कब्जा नहीं है परन्तु ग्राम पंचायत के सरपंच ने प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सूचना दिये बिना ही अवैध व मनमाफिक तरीके से कानूनी प्रकिया अमल में लाये बिना ही निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया।
3. प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत के सरपंच को विधि व नियमानुसार कोई अधिकार नहीं होता है परन्तु ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधि व कानून का उल्लंघन करते हुए कृषि भूमि का पट्टा जारी किया है।
4. ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कृषि भूमि का पट्टा जारी करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत के सरपंच ने उक्त अधिनियम एवं कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पट्टा जारी किया है तथा उक्त पट्टे में जानबूझकर भूमि के खसरे नम्बर व किस्म का उल्लेख नहीं किया है तथा पट्टे में अंकित भूमि के जो पड़ौस बताये है वह भी बिलकुल झूठे व गलत वर्णित किये है। इस तरह ग्राम पंचायत के सरपंच को उक्त भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार व क्षेत्राधिकार निहित नहीं था।
5. ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 154 व 156 के सिद्धान्तों एवं दिशा निर्देशों की पालना किये बिना ही विधि विरूद्ध पट्टा जारी कर दिया जो कि नियमों कायदों के विपरित होने से पट्टा का कोई कानूनी आधार नहीं है।
6. ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सा. नियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत पट्टा जारी करना बताया है जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा लम्बे समय से चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 व उनके पूर्वज चुन्नीलाल का कब्जा होना कतई सम्भव नहीं है। केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के पिता व पति चुन्नीलाल को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से कानून व नियम के विपरित ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी कर दिया है।
7. ग्राम पंचायत ने यह जानते हुए कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि एवं आबादी की पुश्तैनी भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के पिता व पति का विधिवत रूप से कब्जा नहीं है जानते हुए ग्राम पंचायत ने जानबूझकर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के पिता व पति को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से नियम व कानून को नजर अन्दाज कर पट्टा जारी किया है।
8. निगरानीधीन पट्टे की जानकारी दिनांक 29.05.2016 व 30.05.2016 को प्रार्थीगण के कृषि भूमि के कब्जे वाली भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य 1–2 लोगों के साथ कब्जा करने की नियत से जबरन प्रवेश करने पर हुई एवं प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत बैठवासिया के ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव की सूचना के अधिकार के तहत पट्टे की प्रमाणित

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि के लिए आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 14.06.2016 को प्राप्त होने पर अविलम्ब निगरानी प्रस्तुत की गयी है तथा निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर निगरानी प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने का आदेश हेतु निवेदन किया गया।

अतः प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र पेश कर निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत बैठवासिया के सरपंच द्वारा मिसल संख्या 96–97/01 में पट्टा संख्या 01 दिनांक 29.03.1997 जारी किया जिसे निरस्त किये जाने का आदेश हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बावरला ने अपनी बहस में निगरानी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत बैठवासिया पंचायत समिति ओसिया जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 29.03.1997 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के पिता व पति चुन्नीलाल के हक में जारी पट्टा संख्या 01 मिसल संख्या 96–97/01 को निरस्त किये जाने का आदेश हेतु निवेदन किया गया है।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने जवाब निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि ग्राम में आबादी भूमि के पास प्रार्थीगण की कृषि भूमि अवश्य आई हुई है लेकिन आबादी भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा तथा प्रार्थीगण की पट्टिया उनकी कृषि भूमि एवं आबादी की सीमा पर रोपी हुई है। ग्राम पंचायत बैठवासिया द्वारा दिनांक 29.03.97 को विधि अनुसार कार्यवाही कर अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में पुरानी रहवास होने से पट्टा जारी किया गया था ग्राम पंचायत को आबादी भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार है। प्रार्थीगण के पिता के नाम से जारी पट्टे के भूखण्ड के स्थान पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा तथा प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर काबिज है जो आबादी भूमि से अलग है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जांच कर पंचों द्वारा मौका निरीक्षण कराकर अप्रार्थीगण के पिता के कब्जे की भूमि का नाप एवं पड़ौस का पट्टा जारी किया है जिसके विरूद्ध 19 साल बाद निगरानी पेश करने का प्रार्थीगण को अधिकार नहीं होने एवं देरी से पेश होने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में पट्टा जारी करने से पहले आपत्तिया पेश करने के लिये नोटिस जारी किया गया था लेकिन नियत अवधि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं करने पर ग्राम पंचायत द्वारा अपनी बैठक दिनांक 28.12.1996 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थीगण के पिता चुन्नीलाल के नाम से 25 रूपये प्रति गज के हिसाब से रूपये 541.50 जमा कराने का निर्णय लिया गया, जिसकी पालना में अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में दिनांक 29.03.97 को पट्टा संख्या एक जारी किया गया। प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत बैठवासियां द्वारा दिनांक 28.12.96 को पट्टा जारी करने के लिये पारित निर्णय के विरूद्ध कोई अपील/रिवीजन नहीं की है। अतः उस निर्णय की पालना में जारी पट्टे के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को आबादी भूमि का विकय कर पट्टे जारी करने का अधिकार है। अप्रार्थीगण के पिता का आबादी भूमि पर पुराना आवासीय कब्जा होने से नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया है जिस पर आपति करने का प्रार्थीगण को अधिकार नहीं है। विवादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण का पक्का रहवासी मकान बना हुआ है उसके बाहर पश्चिम में शौचालय एवं स्नानघर बना हुआ है। भूखण्ड के दक्षिणी पूर्वी कोने 5 x 5 फुट पर देवता का थान है। मकान के पीछे बाड़ा है जिसमें पशुओं एवं चारे के लिए छपरा बना हुआ है। अप्रार्थीगण के मकान के बाहर पत्थरों के फाचरों की दीवार तथा पट्टिया रोप रखी है तथा खुटें रोप कर तारबन्दी करवा रखी है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर तथा अप्रार्थीगण के पिता का पुराना रहवासीय कब्जा होने से नियम 266 राजस्थान पंचायत एवं ग्राम पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया गया है जिसकों 19 साल से अधिक देरी से प्रस्तुत निगरानी पेश करने का प्रार्थीगण को अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण को

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned with CamScanner

निगरानी पेश करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से तथा निगरानी गम्भीर देरी से पेश होने से केवल इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के पट्टा सुदा आवासीय भूखण्ड पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की तो अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण ने प्रार्थीगण के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ओसियां के न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा के लिये सन् 2016 में ही वाद कर दिया था उस वाद में अप्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश है एवं उक्त वाद अभी विचाराधीन होने से प्रार्थीगण की निगरानी पोषणीय नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि सरपंच ग्राम पंचायत बेठवासिया पंचायत समिति ओसिया जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 29.03.1997 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के पिता व पति चुन्नीलाल के हक में पट्टा संख्या 01 मिसल संख्या 96–97/01 जारी किया गया पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थीगण की निगरानी खारिज करने व सरपंच ग्राम पंचायत बेठवासिया पंचायत समिति ओसिया जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 29.03.1997 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के पिता व पति चुन्नीलाल के हक में पट्टा संख्या 01 मिसल संख्या 96–97/01 जारी किया गया को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचारण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि:–

1. अप्रार्थीगण के पिता व पति स्व.श्री चुन्नीलाल के नाम आबादी भूमि का पट्टा संख्या 1 दिनांक 29.03.1997 को सरपंच ग्राम पंचायत बैठवासिया पंचायत समिति ओसियां द्वारा 195 x 100 फुट = 2166 वर्गगज का जारी किया गया है जो कि पंचायत राज नियम के प्रावधानों में वर्णित निर्धारित सीमा से अधिक का जारी किया गया है।
2. ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल पट्टा मिसल का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व की गयी कार्यवाहियों में अनियमितता बरती गयी है। यथा मिसल में निरीक्षण कमेटी की गठन की दिनांक अंकित नहीं है। प्रार्थी द्वारा पट्टा हेतु आवेदन कब किया गया, इसका भी कही वर्णन नहीं है। इसके अलावा आपत्तिंया आमंत्रित करने हेतु नोटिस व बयान फार्मो पर भी दिनांक अंकित नहीं की गयी है तथा काफी कॉलम रिक्त है, जिससे पट्टा जारी करने की कार्यवाहियों की वैधानिकता पर संदेह उत्पन्न होता है।
3. सरंपच ग्राम पंचायत बैठवासिया द्वारा उक्त निगरानीधीन पट्टा संख्या 1 दिनांक 29.03.1997 को राजस्थान पंचायतराज नियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत जारी किया गया है जबकि दिनांक 30.12.1996 से नवीन राजस्थान पंचायतराज नियम 1996 प्रभावी हो चुके थे। यद्यपि प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.12.1996 से पूर्व पट्टा प्राप्त करने का आवेदन किया गया परन्तु फिर भी ग्राम पंचायत का यह दायित्व था कि राजस्थान पंचायतीराज के नये नियमों के तहत पट्टा जारी किया जाये किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जिस आधार पर यह पट्टा प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा की गयी तकनीकी गलती में पट्टा धारक की कोई भूमिका नहीं है।
4. विवादित भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों पक्षों द्वारा अपना अपना कब्जा होना बताया है जबकि दोनों ही पक्षों द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य या सबूत इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है इसलिए विवादित भूमि की सीमाओं की जांच करवायी जानी आवश्यक है।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned with CamScanner

उभय पक्षकारों को न्याय प्रदान करने की मंशा से हम इस प्रकरण को ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम पंचायत बैठवासिया द्वारा जारी पटटा संख्या 01 दिनांक 29.03.1997 मिसल संख्या 96–97/01 को खारिज करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत बैठवासिया, पंचायत समिति ओसियां, जिला जोधपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विवादित भूमि पट्टा के कब्जे एवं स्वामित्व निर्माण आदि की विस्तृत जांच कर पूर्णतया विधिक एवं पारदर्शी तरीके से कार्यवाही करते हुए नियमानुसार आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

Scanned with CamScanner